# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

**(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)**

राजस्व आवेदन संख्या 333 / 2025 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| लिखमाराम पुत्र बिरधाराम<br>जाति जाट, निवासी मौखाबकला<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर | | 1. लाधूराम पुत्र अन्नाराम<br>2. खेमाराम पुत्र हुकमाराम<br>3. ताजाराम पुत्र हुकमाराम<br>4. पोकर पुत्र चंदाराम<br>5. भैराराम पुत्र हुकमाराम<br>6. रावताराम पुत्र हुकमाराम<br>7. लुणीदेवी पत्नी हुकमाराम<br>जाति जाट, निवासी मौखाबकला<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>8. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक मौखाबकला<br>9. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा भींयाड़<br>10. तहसीलदार शिव |

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी – श्री बालाराम गोदारा।

## –:: आदेश ::–

**दिनांक : 13.10.2025**

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा मौखाब कला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 542 / 167 रकबा 8.0613 हैक्टेयर आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है तथा रहवासी ढाणी व मवेशियों के बाड़े बने हुए है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 171, 164 रकबा क्रमशः 10.9427, 7.2358 हैक्टेयर में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थीगण को बाद तामिली उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। [illegible] अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट [illegible]सार [illegible]वित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 10.9427 [illegible] रकबा 0.0546 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खातेदारी [illegible] रकबा 7.2358 हैक्टेयर में [illegible] 0.0486 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावि[illegible] रास्ते की चौड़ाई 03 गट्[illegible] उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता / विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 10.9427 हैक्टेयर में से रकबा 0.0546 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 164 रकबा 7.2358 हैक्टेयर में से रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट में भी अन्य विकल्प नहीं होना दर्शाया गया है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा मौखाब कला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 542/167 रकबा 8.0613 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 171 रकबा 10.9427 हैक्टेयर में से रकबा 0.0546 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 164 रकबा 7.2358 हैक्टेयर में से रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक [illegible] सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव